राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
36/2025	16.05.2025	13.09.2025

बउनवान

1. कैलाशी पत्नी कुलदीप, निवासी निहालपुरा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
2. गोविन्दी पत्नी रामावतार, निवासी निहालपुरा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
3. मिश्री देवी पत्नी रामचन्द्र, निवासी निहालपुरा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
4. हरपति पत्नी मुकेश, निवासी निहालपुरा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बैजूपाडा, जिला दौसा।
2. रामखिलाडी पुत्र हरसहाय, निवासी निहालपुरा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थितः

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री जितेन्द्र सिंह गुर्जर।
2. अप्रार्थी– तहसीलदार बैजूपाडा।

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. आज पत्रावली **राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा** में पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी भूमि ग्राम निहालपुरा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित खसरा नं. 624 रकबा 0.29 हैक्टे., रकबा 0.29 हैक्टे. है जो प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 2 की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है जिस पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 2 काबिज काश्त चले आ रहे हैं। खातेदारान ने आपसी सहमति से विवादित आराजी का मौके पर बंटवारा कर रखा है। विवादित आराजी के सटवा में ही अन्य खातेदार काश्तकार की आराजी है जिन्होंने प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि की डोल मेड को ट्रैक्टरों से जोत कर खेतो के मध्य के सीमा चिन्हों को नष्ट कर दिया है एवं वर्तमान में मौके पर खेतों के मध्य में डोल मेड व सीमा चिन्ह स्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा अपने खेतों मे फसल काश्त करते समय ट्रैक्टर से अपने खेतों को जोतने पर पडौसी खातेदारान को बार बार लट्ठ लेकर झगडा करने पर आमादा हो जाते है और बोलते है कि तुम्हारी जमीन यहां तक नहीं है। प्रार्थीगण ने कहा कि राजीखुशी जमीन का सीमाज्ञान करवालो, तुम्हारी जमीन जहां पर आये वहां पर आप ले लेना तथा हमारी जमीन जहां तक होगी हम ले लेंगे किन्तु पडौसी खातेदारान भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु सहमत नहीं है। आये दिन झगडा फसाद होने पर प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की आराजी का दिनांक 02.05.2025 को पैमाईश भी करवा ली है। उक्त सीमा ज्ञान पटवारी हल्का,

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

निहालपुरा के द्वारा पडौसी खातेदारों की मौजूदगी में करवाया गया था लेकिन पडौसी खातेदारों ने उक्त सीमाज्ञान को मानने से इन्कार कर दिया। उक्त पैमाईश रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण अपनी आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण ने तहसीलदार बैजूपाडा के समक्ष सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार महवा द्वारा टीम गठित कर दिनांक 01.05.2025 को प्रार्थीगण की विवादित आराजी का सीमाज्ञान का आदेश पारित कर दिया व आदेश की पालना में राजस्व विभाग के पटवारी हल्का निहालपुरा द्वारा मौके पर पहुंच कर उक्त नम्बर का सीमाज्ञान करके मौके पर निशानात लगाये। उसी के अनुसार उक्त आराजी की पत्थरगढी करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। विवादित आराजीयात ग्राम निहालपुरा में स्थित होने के कारण माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क व तलबाना चस्पा किया गया है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की विवादित आराजी खसरा नम्बर 624 का सीमाज्ञान दिनांक 02.05.2025 के अनुसार पत्थरगढी करवाने हेतु तहसीलदार बैजूपाडा व थानाधिकारी बैजूपाडा को आदेश करे।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब नोटिस जारी किया गया। नोटिस तामील होने के बावजूद अप्रार्थी सं. 2 की ओर से न्यायालय में कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जवाब का अवसर बन्द कर दिया गया।

3. अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा संख्या 624 रकबा 0.24 हैक्टे. भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 2 की मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड अनुसार सहखातेदार भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खसरा नम्बर का सीमाज्ञान दिनांक 02.05.2025 को किया गया।

4. पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार, आराजी खसरा नं. 624 के प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 2 दर्ज रिकॉर्ड खातेदार है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी का दिनांक 02.05.2025 को तहसीलदार बैजूपाडा के द्वारा गठित टीम के द्वारा सीमाज्ञान किया जा चुका है। प्रार्थीगण अपने खेत की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इससे राजस्व अभिलेख में किसी भी पक्षकार के किसी प्रकार के हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

5. अतः राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सहमति के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम निहालपुरा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित खसरा नं. 624 रकबा 0.29 हैक्टे. के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण के उक्त खसरा की पत्थरगढी किये जाने के लिये भू अ. निरीक्षक गोलाडा को 1500/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। लिखित सहमति पश्चात् प्रार्थीगण की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न की जावें। कमिश्नर

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में फेरबदल नही किया जावें। प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावें। अतः भू. अ. निरीक्षक गोलाडा मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण एवं पडोसियों की उपस्थिति में पत्थरगढी कर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बैजूपाडा को पालनार्थ हेतु लिखा जावे।

निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा में सुनाया गया।

सदस्य
राजस्व अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच महवा

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच महवा